| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>**रेफरेन्स/एल.आर./2006/3256/डूंगरपुर**<br>**सरकार बनाम लालीया (मृतक) जरिये विधिक वारिसान वगैरह** | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| **17/02/26** | **एकलपीठ**<br>**श्री केसर लाल मीणा, सदस्य**<br>———<br><br>**उपस्थित :–**<br>श्रीमति अर्चना गौतम, विद्वान उप राजकीय अभिभाषक।<br>अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित।<br>———<br><br>**निर्णय**<br><br>1– यह रेफरेन्स न्यायालय जिला कलेक्टर, डूंगरपुर द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 82 के अन्तर्गत अपने निर्णय दिनांक 22–03–2006 से अभिशंषित करते हुए राजस्व मण्डल में प्रस्तुत किया गया है।<br><br>2– हस्तगत रेफरेन्स प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार डूंगरपुर ने एक प्रार्थना पत्र न्यायालय जिला कलक्टर डूंगरपुर के यहां अंतर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के अंतर्गत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम चुण्डावाडा में वर्तमान भू प्रबंध में आराजी नंबर 4773 में रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा भूमि किस्म नाली दर्ज थी। उक्त भूमि आवंटन/नियमन/खातेदारी हेतु उपलब्ध नहीं होकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के तहत् वर्जित/प्रतिबंधित भूमि की श्रेणी में थी, लेकिन आवंटन सलाहकार समिति द्वारा उक्त भूमि में से 15 बिस्वा भूमि का नियमन अप्रार्थीगण के पिता/पति को दिनांक 23–11–1977 को किया गया है जो जरिये नामांतकरण संख्या 987 के द्वारा राजस्व रेकार्ड में दर्ज हो चुका है। उक्त भूमि का नियमन धारा 16 काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत् प्रारंभ से ही शून्य व बेअसर होने से उक्त नामांतकरण को निरस्त कर पुनः किस्म नाली दर्ज करने हेतु रेफरेंस मंडल को भेजा जावे।<br><br>3– उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर जिला कलेक्टर डूंगरपुर ने अपने निर्णय दिनांक 22–03–2006 द्वारा तहसीलदार का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थी के पक्ष में आवंटन के आधार पर स्वीकृत नामांतरकरण को निरस्त करने हेतु राजस्व मंडल में यह रेफरेंस प्रेषित किया है।<br><br>4– समुचित व पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी अप्रार्थी के अनुपस्थित रहने पर विद्वान उप राजकीय अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गई।<br><br>5– दौराने बहस विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने बहस करते हुये अभिकथन किया कि विवादित आराजी पूर्व राजस्व रिकोर्ड अनुसार गैर मुमकिन | |

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>**रेफरेन्स/एल.आर./2006/3256/डूंगरपुर**<br>**सरकार बनाम लालीया (मृतक) जरिये विधिक वारिसान वगैरह** | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|

नाली दर्ज थी, जिसे नियम विरूद्ध आवंटन अधिकारी ने अप्रार्थी को आवंटन कर इसका नियमन कर दिया, जिसके नामांतरकरण संख्या 987 स्वीकृत हआ। गैर मुमकिन नाली भूमि धारा 16 के प्रावधानों से प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमि है। उक्त प्रकार की भूमि में किया गया आवंटन/नियमन तथा उसके आधार पर तस्दीक नामांतरकरण प्रारम्भ से ही अवैध एवं शून्य होने से निरस्तनीय है। अतः रेफरेंस स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी पुनः राजस्व रेकॉर्ड में गैर मुमकिन नाली दर्ज करवाने के आदेश प्रदान करावें।

6— सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में संलग्न नामांतकरण पंजिका अनुसार नामांतकरण संख्या 987 के द्वारा ग्राम चुण्डावाडा तहसील डूंगरगढ़ स्थित खसरा संख्या 4773 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा भूमि किस्म नाली में से 15 बिस्वा भूमि का नियमन अप्रार्थी लालीया के पक्ष की किया जाकर खातेदारी प्रदान की गई है। जमाबंदी संवत् 2041 से 2054 के अनुसार खसरा संख्या 4773 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा भूमि की किस्म नाली है। जमाबंदी संवत् 2051 से 2054 के अनुसार प्रश्नगत खसरा भूमि अप्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है।

7— इस प्रकार उपरोक्त अभिलेखों से यह साबित है कि विवादित आराजी की किस्म नाली थी, जिसे गलत व अवैध तरीके से अप्रार्थी की खातेदारी में दर्ज कर दी गई। राजस्व विधियों एवं नियमों के अनुसार किसी तालाब अथवा उसके पायतन (catchment) की भूमि आवंटन या नियमन योग्य नहीं है और ना ही ऐसी भूमि में किसी को खातेदारी अधिकार मिल सकते हैं। विवादित आराजी की किस्म नाली होने से धारा 16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रावधान अनुसार तथा राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 का नियम 4 (i) सपठित नियम 20 अनुसार यह भूमि वर्जित श्रेणी की भूमि है जो न तो आवंटन योग्य थी और न ही इसमें किसी को खातेदारी अधिकार अर्जित हो सकते थे। अतः हस्तगत रेफेरेंस स्वीकार किये जाने योग्य है।

8— परिणामतः हस्तगत रेफेरेंस स्वीकार किया जाता है और आवंटन कार्यवाही/आदेश दिनांक 23—11—77 तथा उसके आधार पर आवंटी अप्रार्थी के नाम स्वीकृत नामान्तकरण संख्या—987 को एतदद्वारा निरस्त किया जाता है और वादग्रस्त भूमि को पुनः नाली दर्ज करने व सम्बन्धित राजस्व अभिलेखों से अप्रार्थी के पक्ष में दर्ज अंकन को विलोपित किये जाने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

**(केसर लाल मीणा)**
**सदस्य**